न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी - अश्वनी विज

सेशन प्रकरण सं. 451/2024

राज. राज्य बनाम शौकत अली आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-311 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा-348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं धारा-230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थिति-

श्री राधेश्याम सेवग, लोक अभियोजक राज्य की ओर से
श्री प्रदीप हर्ष, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से
श्री जयदीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

आदेश दिनांकः-11.08.2026

प्रार्थी राजस्थान राज्य की ओर से दिनांक 10.06.2026 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-311 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा-348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं अभियुक्तगण शौकत खां, कालू खां, अमीन खां एवं हाजी खां द्वारा दिनांक 13.02.2026 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया, जिनका निस्तारण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रार्थी राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-311 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा-348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस आशय का पेश किया गया कि प्रकरण में एक फर्द जब्ती एक पैन ड्राइव जिसमें घटनास्थल फैक्ट्री, जी-1-218 में लगे कैमरों की फुटेज सुशील थानवी द्वारा तैयार की गई थी। उक्त फर्द जब्ती में सुशील थानवी उर्फ संजय पुत्र ओमप्रकाश उम्र 35 साल, निवासी बेनीसर बारी के अंदर, पुलिस थाना नयाशहर हाल गोदाम फैक्ट्री जी-1-218 रीको बीछवाल बीकानेर मौतबीर गवाह है। हालांकि उक्त साक्षी के बयान पूर्व में न्यायालय में लेखबद्ध हो चुके हैं, किन्तु जब्तशुदा पेन ड्राइव न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है, इसलिए उक्त गवाह जो कि उक्त पेन ड्राइव की फर्द जब्ती का मौतबीर गवाह है एवं धारा-63(4)(C) बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र का जारीकर्ता है को बतौर

साक्षी पुनः तलब किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रकरण में सहजाद पुत्र नत्थू खां निवासी मोहर्रम चौकी के पास, भुट्टों के पास हाल माताजी मन्दिर के पास सुभाषपुरा पीएस सदर की एम.एल.सी. एक्स-रे रिपोर्ट दिनांक 27.08.2024 को डॉ. हरचरण चिकित्सा अधिकारी एस.पी. मेडिकल कॉलेज एवं पी.बी.एम. हॉस्पीटल बीकानेर द्वारा तैयार की गई थी, उक्त रिपोर्ट तैयार करने वाले चिकित्सक को भी एक्स-रे रिपोर्ट एवं प्लेट बाबत् न्याय हित में तलब किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा लाठी अजाने आरोपी अमीन खां, लोहे की पाईप अजाने आरोपी शौकत खां व लोह की पाईप अजाने आरोपी हाजी खां से बरामद किये गये हैं, उक्त बरामद किए गए वजह सबूत जो कि मालखाना इन्चार्ज के सुपुर्द किए गए, उक्त मालखाना इन्चार्ज रेवंतराम एचसी 150 पीएस बीछवाल को भी साक्ष्य में मालखाना रजिस्टर के साथ तलब किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि सुशील थानवी उर्फ संजय पुत्र ओमप्रकाश उम्र 35 साल, निवासी बेनीसर बारी के अंदर, पुलिस थाना नयाशहर हाल गोदाम फैक्ट्री जी-1-218 रीको बीछवाल बीकानेर को साक्ष्य हेतु पुनः तलब किया जावे एवं सहबन से गवाह सूची में जोडे जाने से रहे गवाहान डॉ. हरचरण चिकित्सा अधिकारी एस.पी. मेडिकल कॉलेज एवं पी.बी.एम. हॉस्पीटल बीकानेर तथा मालखाना इंचार्ज रेवतराम एच सी 150 पीएस बीछवाल का नाम साक्ष्य सूची में जोडा जाकर साक्ष्य हेतु तलब करने के आदेश फरमावे।

3. अभियुक्तगण शौकत, हाजी खां, अमीन एवं कालू खां की ओर से इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि गवाह सुशील थानवी की साक्ष्य पूर्व में न्यायालय में लेखबद्ध की जा चुकी है, अब बयानों में आई Lacuna को फिलअप करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण हाजा में अनुसंधान पूर्व कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा महत्वपूर्ण साक्षीगण को साक्ष्य सूची में उल्लेखित किया गया था। प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की श्रेणी में सूचीबद्ध है। अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र महज प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य से प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि प्रकरण में महत्वपूर्ण सभी साक्षीगण के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। अतः अभियोजन का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. विद्वान लोक अभियोजक का दौराने बहस कथन रहा है कि

गवाह सुशील थानवी उर्फ संजय, डॉ. हरचरण चिकित्सा अधिकारी एवं रेवंतराम एच सी 150 को साक्ष्य में आहूत किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इनकी साक्ष्य से प्रकरण का न्याय पूर्ण ढंग से निस्तारण हो सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर साक्षी सुशील थानवी उर्फ संजय को पुनः साक्ष्य में तलब किया जावे एवं डॉ. हरचरण चिकित्सा अधिकारी एवं रेवंतराम एच सी 150 को साक्ष्य सूची में जोड़कर उन्हें साक्ष्य हेतु न्यायालय में आहूत किया जावे। अपने पक्ष समर्थन में उन्हें द्वारा सम्मानित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया, जिसका ससम्मान अवलोकन किया गयाः-

1. (2021) AIR (SC) 1276
V.N.PATIL Vs K.NIRANJAN KUMAR AND OTHERS

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का बहस के दौरान तर्क रहा है कि मात्र प्रकरण में विलम्बित करने एवं साक्ष्य में रही कमी की पूर्ति करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया जावे।

6. मैंने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन् किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में सुशील थानवी की साक्ष्य पूर्व में लेखबद्ध हो चुकी है, किन्तु उस समय तक पेन ड्राइव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ था, जिस वजह से पेन ड्राइव के सम्बन्ध में उसकी साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हो सकी। चूँकि पेन ड्राइव इस प्रकरण का अहम इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज है, जिसे अभिलेख पर प्रदर्शित करवाया जाना आवश्यक है और उक्त पेन ड्राइव के सम्बन्ध में धारा-65(4)(C) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र इसी साक्षी सुशील थानवी उर्फ संजय द्वारा ही जारी किया जाना प्रकट किया गया है, ऐसी स्थिति में इस साक्षी की साक्ष्य पुनः लेखबद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक डॉ. हरचरण चिकित्सा अधिकारी एवं मालखाना इंचार्ज रेवंतराम एचसी 150 को साक्ष्य सूची में जोड़ने एवं उन्हें साक्ष्य में तलब करने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि डॉ. हरचरण चिकित्सा अधिकारी वह व्यक्ति है जिसके द्वारा हस्तगत प्रकरण में एक्स-रे रिपोर्ट एवं प्लेट तैयार की गई है, वहीं रेवंतराम एच सी 150 हस्तगत प्रकरण में जब माल वजह सबूत थाने में जमा हुआ, उस वक्त मालखाना का उसे इंचार्ज होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों ही साक्षी प्रकरण के महत्वपूर्ण

साक्षी हैं, जिन्हें साक्ष्य सूची में संयोजित किया जाकर साक्ष्य हेतु आहूत किया जाना न्याय हित में आवश्यक प्रतीत होता है।

7. अभियुक्तगण शौकत खां, कालू खां, अमीन खां एवं हाजी खां की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस आशय का पेश किया गया कि चालान के कागजात ज्यूडिशियल में क्रम संख्या-20 पर फर्द जब्ती एक पेन ड्राईव जिसमें घटनास्थल के सी.सी.टी.वी. फुटेज होना अंकित किया है। चूँकि अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त पेन ड्राइव को जबत कर शामिल पत्रावली किया गया है तथा उक्त पेन ड्राइव की प्रति चालान की प्रति के साथ उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जो उसे उपलब्ध करवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रकरण में अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य न्यायालय में परीक्षित होने से पूर्व अनुसंधान अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत चालान पत्रावली के साथ प्रस्तुत की गई इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पेन ड्राइव की धारा-230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों की पालना में सत्यप्रति दिलवाई जावे।

8. उपर्युक्त धारा-230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कोई जवाब विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत नहीं किया एवं सीधे ही बहस करना चाहा गया।

9. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया गया कि इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पेन ड्राइव पूर्व में चालान के साथ प्रस्तुत किया गया, किन्तु उसकी प्रति उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसकी प्रति उपलब्ध करवाने का आदेश फरमावे। अपने पक्ष समर्थन में उन्होंने निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियाः-

1. Crl.O.P. No. 29860 of 2013 and M.P. No.1 of 2013
   Order Dated 25.11.2013
   K. Ramajeyam Vs The Inspector of Police, T.4 Maduravayal Police Station, Thiruvallore District

10. मैंने उभय पक्षकारान की बहस सुनी ली है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण पत्रावली में अभियोजन की अधिकांश साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है और जिस इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पेन ड्राइव की प्रति चाही जा रही है, वह पेन ड्राइव साक्ष्य में अब तक प्रदर्शित नहीं हुआ है, जिसके प्रदर्शित होने के पश्चात् अभियुक्तगण को उक्त पेन ड्राइव के सम्बन्ध में प्रतिपरीक्षण का अवसर

भी प्राप्त होगा, यदि उन्हें उस पेन ड्राइव के सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न या आपत्ति करनी है तो उन्हें उस समय अवसर प्राप्त होगा। अभी इस प्रक्रम पर उन्हें उक्त पेन ड्राइव की प्रति उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. अतः प्रार्थी राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 10.06.2026 अन्तर्गत धारा-311 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा-348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर साक्षी सुशील थानवी उर्फ संजय को पुनः साक्ष्य हेतु आहूत किया जावे एवं साक्षी डॉ. हरचरण चिकित्सा अधिकारी एवं साक्षी रेवंतराम एच सी 150 पी एस बीछवाल को अभियोजन साक्ष्य सूची में लाल स्याही से संयोजित किया जाकर उन्हें साक्ष्य हेतु आहूत किया जावे। अभियुक्तगण शौकत खां, कालू खां, अमीन खां एवं हाजी खां की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अश्वनी विज)
सेशन न्यायाधीश, बीकानेर

आदेश आज दिनांक 11.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया-जाकर सुनाया गया।

(अश्वनी विज)
सेशन न्यायाधीश, बीकानेर